न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला दूदू

बइजलासः– राकेश कुमार II (आर. ए. एस.)
मुकदमा नम्बर : 56/2022
तारीख दावा दायरीः– 14.06.2022
तारीख निर्णयः– 29.07.2024

1. राजप्रतापसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत आयु 22 वर्ष निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. वंशप्रतापसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. लक्कीकंवर पुत्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
3. शिवकंवर पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
4. नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
5. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर, राज.।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–29.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 13 खसरा नं. 118 रकबा 0.3414 है0, ख.नं. 59 रकबा 10.3436 है0, ख.नं. 61 रकबा 0.9863 है0, ख.नं. 62 रकबा 0.0379 है0, ख.नं. 63 रकबा 0.2782 है0, ख.नं. 64 रकबा 0.3161 है0, ख.नं. 65 रकबा 0.4805 है0, ख.नं. 69 रकबा 1.5427 है0, ख.नं. 70 रकबा 0.3161 है0, ख.नं. 71 रकबा 0.4932 है0, ख.नं. 72 रकबा 0.1644 है0, ख.नं. 73 रकबा 0.3541 है0, ख.नं. 74 रकबा 0.0632 है0, ख.नं. 77 रकबा 0.0632 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 15.7809 है0 भूमि वाके ग्राम बाढरामचन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं जिसमें प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज भूमि में से वादी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 का 1/5 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 अपने–अपने हिस्से अनुसार आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी हिन्दू परिवार की पैतृक एवं शामलात की आराजी है। उक्त वर्णित आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है जो वर्तमान में वादी के पिता नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वादी के पिता नरपतसिंह

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

को अपने पिता देवीसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी खातेदार देवीसिंह का पोता लगता है एवं कानूनन दादा की संपति में पोता का जन्मजात हक है। कुछ समय तक तो पक्षकारान शामलात में ही रहते थे उपज का उपयोग–उपभोग भी शामलात में ही करते रहे। परन्तु कुछ समय पूर्व पक्षकारान ने आराजी को अपने–अपने हिस्सेनुसार बॉट लिया। तब से लेकर आज तक पक्षकारान सम्पूर्ण आराजी में अपने–अपने हिस्से पर शांन्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं0 4 बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गयी है। प्रतिवादीं सं. 4 ने वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 को मारपीट कर अलग कर दिया। प्रतिवादी सं. 4 को अन्य लोगो ने अपने नाजायज रूप से अपने प्रभाव में ले रखा है एवं ये लोग प्रतिवादी सं. 4 को अपने प्रभाव में लेकर उक्त आराजी को बैचान कराने पर आमादा है। अभी हाल ही में दिनांक 01/06/2022 को वादी अपने हिस्से की आराजी में खरार कर रहा था तो प्रतिवादी सं. 4 कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादी की हिस्से की आराजी पर आये एवं आराजी को बेचान करने की बातचीत करने लगे। जब वादी ने आराजी स्वयं के हिस्से में होने की बात कही तो प्रतिवादी सं. 4 उग्र हो गये एवं आराजी स्वयं के नाम लगी होने के कारण नाम लगाने से इंकार कर दिया एवं अकेले ही आराजी को बैचान करने की व वादी को जबरन बेदखल करने की धमकियां दी । इसलिये वादी द्वारा घोषणा करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ जिसका वादी अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 4 वादी के हिस्से की आराजी को बेचने तथा वादी को जबरन बेदखल करने का अधिकारी नही हैं। विवादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक संपति है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दादा की संपति में पोते का जन्मजात हक व हिस्सा है एवं अपने हिस्से की आराजी पर वादी काबिज है परन्तु प्रतिवादी सं0 4 कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते है। इसलिए वादी अपने हिस्से की आराजी के कब्जें काश्त में प्रतिवादी सं. 4 द्वारा हस्तक्षेप करने से रूकवाने के लिए प्रतिवादी सं. 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ इसलिए वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। जिसका वादी कानूनन अधिकारी हैं। वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही हैं यदि प्रतिवादी सं. 4 ने उक्त आराजी का विक्रय कर दिया या किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर दी तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी एवं वादी के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं. 5 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार कायम किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद का श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

वादी द्वारा उक्त वाद पेश करने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 की ओर से श्री प्रियंक जैन

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

एडवाकेट उप0 आये व इकबालिये जवाब दावा एवं राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी एवं पर्चा सेटलमेन्ट एवं साक्ष्य में स्वयं वादी एवं गवाह गणेश एवं नरपतसिंह का शपथ पत्र पेश किया। वादी ने मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि उक्त आराजी भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा0 2 व 4 के पूर्वज देवीसिंह एवं वादी की पैतृक आराजी रही है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी हो गया है एवं मुताबिक राजीनामा प्रकरण को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। जिससे वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 13 खसरा नं. 118 रकबा 0.3414 है0, ख.नं. 59 रकबा 10.3436 है0, ख.नं. 61 रकबा 0.9863 है0, ख.नं. 62 रकबा 0.0379 है0, ख. नं. 63 रकबा 0.2782 है0, ख.नं. 64 रकबा 0.3161 है0, ख.नं. 65 रकबा 0.4805 है0, ख.नं. 69 रकबा 1.5427 है0, ख.नं. 70 रकबा 0.3161 है0, ख.नं. 71 रकबा 0.4932 है0, ख.नं. 72 रकबा 0.1644 है0, ख.नं. 73 रकबा 0.3541 है0, ख.नं. 74 रकबा 0.0632 है0, ख.नं. 77 रकबा 0.0632 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 15.7809 है0 भूमि वाके ग्राम बाढरामचन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज भूमि में से वादी को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/24

(राकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दूदू
फागी जिला दूदू

राजप्रतापसिंह बनाम वंशप्रतापसिंह वगै0
मुकदमा नं0 :– 56/2022
निर्णय दिनांक :– 29.07.2024

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला दूदू

बइजलासः– राकेश कुमार II (आर. ए. एस.)

उनवान

1. राजप्रतापसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत आयु 22 वर्ष निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज

वादी

बनाम

1. वंशप्रतापसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. लक्कीकंवर पुत्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
3. शिवकंवर पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।
4. नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।
5. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर, राज.।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 56/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू वकील श्री विनय कुमार जैन एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रियंक जैन एड0 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 13 खसरा नं. 118 रकबा 0.3414 है0, ख.नं. 59 रकबा 10.3436 है0, ख.नं. 61 रकबा 0.9863 है0, ख.नं. 62 रकबा 0.0379 है0, ख.नं. 63 रकबा 0.2782 है0, ख.नं. 64 रकबा 0.3161 है0, ख.नं. 65 रकबा 0.4805 है0, ख.नं. 69 रकबा 1.5427 है0, ख.नं. 70 रकबा 0.3161 है0, ख.नं. 71 रकबा 0.4932 है0, ख.नं. 72 रकबा 0.1644 है0, ख.नं. 73 रकबा 0.3541 है0, ख.नं. 74 रकबा 0.0632 है0, ख.नं. 77 रकबा 0.0632 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 15.7809 है0 भूमि वाके ग्राम बाढरामचन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज भूमि में से वादी को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है
निजी..........X..........मुबलिग..........X..........बाबत..........X..........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वगेरह. ....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुद्रा अदालत के आज तारीख 29 माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी फागी, सत्यमेव जयते, जिला – दूदू)

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत
ओहदा..........
फागी, जिला–दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

29/7/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू